कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दतिया (म0प्र0)

–निविदा–

इस न्यायिक जिला स्थापना दतिया पर वाहन स्टैण्ड का संचालन निर्धारित शर्तों के अध्यधीन करने हेतु ठेका दिया जाना है, जिसके संबंध में इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्थान दिनांक 23.09.2017 दिन शनिवार को प्रातः 11:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर वाहन स्टैण्ड हेतु खुली बोली/नीलामी में सम्मिलित हो सकते हैं।

<u>निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं।</u>

1. बोली/नीलामी में उपस्थित व्यक्ति को रूपये 5,000/- जिला नाजिर के समक्ष बोली लगाने से पूर्व जमा करनी होगी। उक्त राशि नियमानुसार वापसी योग्य होगी।
2. माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा "स्वच्छ न्यायालय अभियान" के अंतर्गत साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा, एवं वाहन स्टैण्ड की नियमित सफाई करानी होगी।
3. वाहन स्टैण्ड का ठेका जिस निविदा कर्ता का स्वीकृत किया जावेगा, उसे ठेके की राशि का तीन माह की अवधि की किराये की राशि एक मुश्त अग्रिम जमा करना होगी।
4. वाहन स्टैण्ड ठेके की राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से जिला नाजिर दतिया के पास जमा करनी होगी।
5. वाहन स्टैण्ड का मासिक ठेका राशि 7000/- रूपये (सात हजार मात्र) है। उक्त राशि से सबसे अधिक राशि की बोली लगाने वाले व्यक्ति की निविदा स्वीकार की जावेगी।
6. वाहन स्टैण्ड संचालित करने वाले ठेकेदार ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेंगे, जिससे कि शासकीय संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।
7. वाहन स्टैण्ड ठेके का उप ठेका नही दिया जा सकेगा।
8. वाहन स्टैण्ड का ठेका आवंटन के संबंध में एकमात्र विवेकाधिकार जिला न्यायाधीश दतिया का होगा।
9. वाहन स्टैण्ड ठेके की अवधि कुल एक वर्ष अथवा आगामी आदेश तक के लिए होगी।
10. वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी, वाहन खराब होने, चोरी होने की दशा में वाहन स्वामी को चोरी हुए वाहन की राशि का भुगतान करना होगा।
11. साईकिल/स्कूटर/दोपहिया/चारपहिया वाहन की पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगी-

(अ).	साईकिल	5/–रू. प्रतिदिन
(ब)	स्कूटर/दोपहिया वाहन	10/–रू. प्रतिदिन
(स)	चार पहिया वाहन	20/–रू. प्रतिदिन

12. वाहन स्टैण्ड ठेकेदार द्वारा वाहन स्वामी को वाहन रखने हेतु टोकन दिया जाना आवश्यक होगा।

Sunil ZW

जिला एवं सत्र न्यायाधीश

दतिया म0प्र0